निगरानी 709-III-15

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल रीवा म0प्र0

1. कामता प्रसाद तिवारी उम्र 46 वर्ष
2. बैधनाथ शरण तिवारी उम्र 40 वर्ष
3. पार्वती उम्र 50 वर्ष
4. शकुन्तला उम्र 45 वर्ष

सभी के पिता स्व0 श्रीराम तिवारी तह0मनगवॉ

5. रामवती पति स्व0 श्री राम तिवारी उम्र 70 वर्ष ,, सभी निवासी ग्राम घवैया थाना व तहसील मनगवॉ जिला रीवा म0प्र0 **निगरानीकर्तागण**

वनाम

1. रामपाल तिवारी उम्र 60 वर्ष
2. शिवपाल उम्र 58 वर्ष
3. रमाकान्त तिवारी उम्र 50 वर्ष
4. अरविन्द तिवारी उम्र 45 वर्ष
5. निरमला तिवारी उम्र 48 वर्ष

सभी के पिता स्व0 रामशिरोमणि तिवारी

6. रामउजागर उम्र 60 वर्ष पिता शोभनाथ
7. राममनोहर तिवारी पिता स्व0 अवधशरण तिवारी उम्र 64
8. रामानंन्द तिवारी उम्र 65 वर्ष
9. दामोदर तिवारी उम्र 50 वर्ष
10. अशोक कुमार उम्र 47 वर्ष

8त10 के पिता स्व0 राधिका तिवारी

11. रामलखन तिवारी पिता स्व0 त्रिवेणी प्रसाद
12. विरेश कुमार
13. राकेश कुमार
14. मुनेश कुमार

12त14 के पिता रामलखन तिवारी

15. देवशरण तिवारी पिता शम्भूवन राम तिवारी उम्र 75 वर्ष सभी निवासी ग्राम धवैया तहसील मनगवॉ जिला रीवा म0प्र0 **गैर निगरानीकर्तागण**

16 - संकटा प्रसाद तिवारी उम्र 65 वर्ष पिता जगदीश प्रसाद तिवारी तह0 मनगवां

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्री मान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील मनगवॉ अपील प्रकरण क0 176/अ 27/2013–14 आदेश दिनॉक 24/03/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सहिता 1959 ई0

मान्यवर ,

निगरानी के आधार निम्ननिखित है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनॉक 24/03/15 निरंकुश , स्वेच्छाचारी ,अनियमित अशुद्व और विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।
2. यह कि यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय (न्यायालय श्री मान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील मनगवॉ) द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम के निराकरण आदेश दिनॉक 24/03/15 से छुब्ध हो कर निगरानीकर्तागण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है।
3. यह कि वास्तव मे धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र मे विलम्ब क्षमा का निवेदन होता है जिसमे आदेश होने की जानकारी एंव नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का दिनॉक एंव आदेश की नकल प्रप्ति होने का दिनॉक एंव विलम्ब होने के एक –एक दिनो का कारण स्पष्ट रूप से विधि मे उल्लेखित प्रावधानित है यहॉ माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जाय तो गैरनिगरानीगणकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदन मे कही किसी पैरा क0 मे आदेश होने की जानकारी का दिनॉक एंव नकल प्राप्ति करने हेतु आवेदन देने का दिनॉक एंव नकल प्राप्ति का दिनॉक तथा विलम्ब होने के करणो का एक –एक दिन का हवाला कुछ भी नही अपने आवेदन मे बताया है इस तरह से प्रस्तुत आवेदन धारा 05 म्याद अधिनियम का जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है वह त्रूटि पुर्ण, स्वेच्छाचारी , अनियमित, अशुद्व एवं विधि विपरीत होने से निरस्त योग्य है।
4. यह कि गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलम्ब क्षमा के आवेदन मे आदेश की जानकरी होने का स्त्रोत आवेदन एंव शपथ पत्र मे कही भी प्रकट नही किया है मात्र उनके अनुचित प्रभाव मे आकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विधि विरूद्व आदेश पारित करने मे महान कानूनी भूल की है उसे निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 709–तीन/2015 जिला रीवा

कामता प्रसाद आदि विरूद्ध रामपाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01–3–2019	आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा के प्रकरण कमांक 176/अ–27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 2–5–2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 01.3.19	